[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना 40/2021 केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 29 दिसंबर, 2021

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर केन्द्रीय माल और सेवा कर 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (दसवां संशोधन), नियम, 2021 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 36 में उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम 1 जनवरी, 2022 से रखे जाएंगे ।

"(4) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति ऐसे इन्वॉइस या डेविट नोट्स जिसका ब्यौरा धारा 37 की उपधारा (1) के अतंर्गत दिया जाना जरूरी हो, से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट तब तक नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक कि-

(क) ऐसे इन्वॉइसेस या डेविट नोट्स का ब्यौरा आपूर्तिकर्ता के द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-1** में बाह्य आपूर्ति से संबंधित विवरण में न दे दिया गया हो या ऐसे बीजक सुविधा देन का प्रयोग न किया गया हो; और

(ख) ऐसे इन्वॉइसेस या डेविट नोट्स का ब्यौरा नियम 60 के उपनियम (7) के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटीआर-2ख** में उक्त पंजीकृत व्यक्ति को न प्रेषित कर दिया गया हो।";

(ii) नियम 80 में, -

(क) उपनियम 1 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के स्थान पर उक्त वार्षिक विवरणी 28 फरवरी, 2022 पर या पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।";

(ख) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3क) उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के स्थान पर उक्त स्व-प्रमाणित समाधान विवरण 28 फरवरी, 2022 पर या पूर्व उक्त वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा";

(iii) नियम 95 के उपनियम (3) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु जहां आवेदक की विशिष्ट पहचान संख्या कर बीजक में उल्लिखित नहीं है ऐसे बीजक पर आवेदक द्वारा संदाय कर का प्रतिदाय केवल तभी होगा यदि बीजक की प्रति आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई है और **प्ररूप जीएसटीआरएफडी-10** में प्रतिदाय आवेदन के साथ दाखिल की गई है ।";

(iv) 1 जनवरी, 2022 से नियम 142 में,-

(क) उपनियम (3) में "माल और प्रवहण को निरूद्ध करने या जब्त करने के 14 दिनों" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए नोटिस के 7 दिनों के भीतर लेकिन उक्त उपधारा (3) के अधीन आदेश के जारी करने से पहले" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को रखा जाएगा ;

(ख) उपनियम (5) में, "कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति" शब्दों के स्थान पर "संबंधित व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति, जैसी भी स्थिति हो," शब्दों को रखा जाएगा ;

(v) नियम 144 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम, 1 जनवरी, 2022 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**अभिवहन में प्रतिधारित या अभिगृहीत माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्ति की वसूली–144क.** (1) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या

ऐसे माल का स्वामी, उक्त धारा 129 की उपधारा (3) पारित आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण के बाजार मूल्य की सूची तैयार करके और उसका प्राकल्लन करके इस प्रकार प्रतिधारित या अभिगृहीत किए गए माल या प्रवहण के विक्रय या निपटान के लिए अग्रसर होगा :

परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल प्रकृति में नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा ।

(2) उक्त माल या प्रवहण का विक्रय, नीलामी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, किया जाएगा, जिसके लिए विक्रय किए जाने वाले माल या प्रवहण और विक्रय के प्रयोजन को स्पष्टत: उपदर्शित करते हुए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10** में नोटिस जारी किया जाएगा :

परंतु जहां उक्त माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उपधारा (1) में वर्णित समयावधि के पश्चात्, किंतु इस उपनियम के अधीन नोटिस जारी किए जाने से पहले, धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का, जिसमें ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा और प्रबंधन पर उपगत कोई व्यय भी है, संदाय करता है, वहां समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण की नीलामी प्रक्रिया को रद्द करेगा और ऐसे माल या प्रवहण को निर्मुक्त करेगा ।

(3) बोली प्रस्तुत किए जाने का अंतिम दिन या नीलामी की तारीख, उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन से पहले का नहीं होगा :

परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल प्रकृति में नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा ।

(4) समुचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने हेतु ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किए जाने वाले पूर्व बोली निक्षेप की रकम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो, यथास्थिति, असफल बोली

लगाने वालों को वापस की जा सकेगी, उस दशा में समपहृत की जा सकेगी, जब सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में असफल रहता है ।

(5) समुचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को, नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा करते हुए, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-11** में नोटिस जारी करेगा :

परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल प्रकृति में नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा ।

(6) समुचित अधिकारी, बोली की पूर्ण रकम का संदाय किए जाने पर, उक्त माल या प्रवहण का स्वामित्व और कब्जा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा और **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12** में प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी, वहां प्रक्रिया को रद्द करेगा और पुन: नीलामी के लिए अग्रसर होगा, जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या पर्याप्त सहभागिता की कमी के कारण या निम्न बोलियों के कारण नीलामी को अप्रतिस्पर्धात्मक समझा जाता है ।

(8) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अपील फाइल की गई है, वहां इस नियम के अधीन अभिवहन में प्रतिधारित या अभिगृहीत माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्ति की वसूली के लिए कार्यवाहियों पर रोक लगाई गई समझी जाएगी :

परंतु यह उपनियम नाशवान या परिसंकटमय प्रकृति के माल के संबंध में लागू नहीं होगा ।"।

(vi) नियम 154 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 1 जनवरी, 2022 से रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"माल या प्रवहण और चल या अचल संपत्ति के विक्रय की प्रक्रियाओं का निपटान.-154.(1) व्यतिक्रमी से शोध्यों की वसूली के लिए या धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए माल या प्रवहण चल या अचल संपत्ति के विक्रय से इस प्रकार वसूल की गई रकम,-

(क) पहले, वसूली प्रक्रिया की प्रशासनिक लागत के प्रति विनियोजित की जाएगी ;

(ख) इसके बाद यथास्थिति धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन वसूल की जाने वाली रकम या उसके अधीन संदेय शास्ति के संदाय के प्रति विनियोजित की जाएगी ;

(ग) इसके बाद इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यक्तिक्रमी से शोध्य किसी रकम के प्रति विनियोजित की जाएगी ; और

(घ) अतिशेष, यदि कोई हो, यथास्थिति, माल या प्रवहण के स्वामी के इलेक्ट्रानिक नकद खाते में जमा किया जाएगा, यदि व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जहां उक्त व्यक्ति की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है वहां उक्त रकम संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाएगी ;

(2) उप-नियम (**1)** के खंड (घ) के अनुसार**,** जहां ऐसे माल या प्रवहण के विक्रय की तारीख से छह मास की अवधि या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो समुचित अधिकारी अनुज्ञात करे, संबंधित व्यक्ति को विक्रय आगमो का अतिशेष का संदाय करना संभव नहीं है वहां विक्रय आगमों का ऐसा अतिशेष निधि में जमा किया जाएगा ।

(vii) 1 जनवरी, 2022 से नियम, 159 में-

(क) उपनियम (2) में,-

(अ) “कुर्की के आदेश की प्रति” शब्दों के पश्चात्, “प्ररूप जीएसटीडीआरसी-22 में” शब्द, अक्षर और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(आ) “जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा ।” शब्दों के पश्चात् “और ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को भी भेजी जाएगी जिसकी संपत्ति धारा 83 के अधीन कुर्क की गई है ।” शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) में-

(अ) “और यदि कराधेय व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर “और यदि व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) “कराधेय व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर “ऐसे व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (4) में दो स्थानों पर आने वाले "कराधेय व्यक्ति" शब्दों के स्थानों पर "ऐसे व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपनियम (5) में "कुर्की के सात दिवसों के भीतर उपनियम (1) के अधीन इस प्रभाव की एक आपत्ति फाइल कर सकेगा" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप जीएसटीडीआरसी-22क में एक आपत्ति फाइल कर सकेगा" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(viii) "प्ररूप जीएसटीडीआरसी-10" के स्थान पर 1 जनवरी, 2022 से निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 10

[नियम 144 (2) और 144क देखिएं]

अधिनियम की धारा 79(1) (ख) या धारा 129(6) के अधीन निलामी के लिए नोटीस

मांग आदेश सं. तारीख:

अवधि :

मेरे द्वारा आदेश.....रुपए और उस पर ब्याज पर की वसूली के लिए तथा धारा 79 के उपबंधों के अनुसार वसूली प्रक्रिया पर उपगत अनुज्ञेय व्यय के लिए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए कुर्क या करस्थम माल के विक्रय के लिए किया गया है ।

या

धारा 129 के अधीन प्रतिधारित या अभिग्रहीत माल या प्रवहण धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन संदेय.....रुपए की शास्ति की वसूली तथा ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा में उपगत व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए धारा 129 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार विक्रय या निपटान के लिए दायी है ।

विक्रय सार्वजनिक निलामी द्वारा होगा और माल तथा/या प्रवहण अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाटों में विक्रय के लिए रखा जाएगा । विक्रय व्यतिक्रमी का अधिकार हक और हित होगा । और उक्त संपत्तियों से संलग्न दायित्व और दावे, जहां

तक उन्हें अभिनिश्चित किया गया है वो संपत्तियां है जिन्हें प्रत्येक लाट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

निलामी तारीख..... को.....बजे की जाएगी ।

प्रत्येक लॉट का मुल्य, विक्रय के समय या उचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशानुसार संदत्त किया जाएगा और भुगतान के व्यतिक्रम में माल और/या प्रवहण, निलामी और पुन: विक्रित के लिए पुन: रखा जाएगा ।

अनुसूची

क्रम संख्या	माल या प्रवहण का विवरण	परिमाण
1	2	3

स्थान: हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पदनाम:" ;

(ix) 1 जनवरी, 2022 से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-11** में-

(क) "नियम 144 (5) और 147 (12) देखिएं" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर "नियम 144 (5), 144क और 147 (12) देखिएं" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) "माल" शब्द के स्थान पर "माल और प्रवहण" शब्द रखे जाएंगे ;

(x) 1 जनवरी, 2022 से प्ररूप **जीएसटी डीआरसी-12** में-

(क) "नियम 144 (5) और 147 (12) देखिएं" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "नियम 144 (5), 144क और 147 (12) देखिएं" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) "माल" शब्दों के स्थान जहां कही भी आते हैं "माल या प्रवहण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) "धारा 79 (1) (ख)/(घ) के उपबंधों" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के पश्चात् "या धारा 129 (6)" शब्द, अंक और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(xi) "**प्ररूप जीएसटीडीआरसी-22**" के स्थान पर 1 जनवरी, 2022 से निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22

[नियम 159 (1) देखिए]

संदर्भ संख्या.:

तारीख:

सेवा में

नाम.....

पता.....

(बैंक/डाक घर/वित्तीय संस्था/स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रीकृत करने वाला प्राधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/अन्य सूसंगत प्राधिकारी)

धारा 83 के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की

यह सूचित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(नाम) जिनका .....(पता) पर कारबार का मुख्य स्थान है जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या.....(जीएसटीआईएन/आईडी), पैन रजिस्ट्रीकृत कराधेय है ।

या

यह सूचित किया जाता है कि श्री.....(नाम) निवासी.....(पता) जिनकी पैन संख्या.....और/या आधार संख्या.....है, धारा 122 की उप-धारा (1क) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति है। उक्त अधिनियम की धारा.....के अधीन उक्त व्यक्ति पर शोध्य कर या किसी अन्य रकम को अवधारित करने के लिए पूर्वोक्त व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाहियां आरंभ

की गई हैं । विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मेरी जानकारी में यह आया है कि उक्त व्यक्ति का -
<<बचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता आपके बैंक/डाक घर/वित्तीय संस्था में है जिसका <<खाता संख्या**>>**..... है ।

या
.....पर अवस्थित संपत्ति की संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति**>>**।
या
यान संख्या..... <<वर्णन**>>**
या
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करे)..... << (वर्णन) **>>**

राजस्व के हितों को संरक्षित करने के लिए तथा अधिनियम की धारा 83 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं.....(नाम), ...(पदनाम) पूर्वोक्त खाता/संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता हूं ।
इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना इसी पैन संख्या पर पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा प्रचालित उक्त खाते या किसी अन्य खाते से कोई भी विकलन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

या

ऊपर वर्णित संपत्ति इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना निपटान हेतु अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

प्रति (व्यक्ति का नाम)" ;

(xii) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 में 1 जनवरी, 2022 से, -
(क)"/स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी", शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/अन्य सुसंगत प्राधिकारी" ;

(ख) दोनों स्थानों पर आने वाले, "व्यतिक्रमी व्यक्ति के विरूद्ध लंबित कार्यवाहियां जो" शब्दों के स्थान पर, "अपेक्षित", शब्द रखा जाएगा ;

(xiii) प्ररूप एपीएल-01 में, प्रविष्टि संख्या 15 में, खंड (क) के अधीन सारणी के स्थान पर, 1 जनवरी, 2022 से, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम	
(क) अनुज्ञात रकम	कर/उपकर					< योग>	< योग >
	ब्याज					< योग >	
	शास्ति					< योग >	
	फीस					< योग >	
	अन्य प्रभार					< योग >	
(ख) पूर्व जमा (सीजीएसटी , एसजीएसटी या उपकर के संबंध में विवादित कर/उपकर का 10 %	कर/उपकर					< योग >	

किन्तु 25 करोड़ रुपए प्रत्येक से अधिक नहीं, या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रुपए							
(ग) धारा 129 की उपधारा (3) के मामले में पूर्व जमा	शास्ति					< योग >	

(xiv) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप 1 जनवरी, 2022 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22ए"

[नियम 159 (5) देखे]

तारीख :

संदर्भ संख्या

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में आदेश की एआरएन संख्या

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

.....(अधिकारिता)

संपत्ति की अनंतिम कुर्की के विरूद्ध आक्षेप फाइल करने के लिए आवेदन

एआरएन संख्या.....द्वारा अधिनियम की धारा 83 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित संपत्ति की अनंतिम कुर्की के लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में आदेश जारी किया गया है ।

संदर्भ पहचान संख्या	
अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति	संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति
अनंतिम रूप से कुर्क खाता	बचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता संख्या
अनंतिम रूप से कुर्क यान	यान के ब्यौरे
कोई अन्य संपत्ति	ब्यौरे

2. सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 159 (5) के उपबंधों के अनुसार, मैं निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मेरा आक्षेप प्रस्तुत करता हूं ।

<<..... **>>**

<<..अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज..**>>**

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तथा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

नाम-

जीएसटीआईएन (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में) -

पैन और / या आधार संख्या (अन्य के मामलें में) -

स्थान -

तारीख -

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर" ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20013/7/2021-जीएसटी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव , भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 में संख्या सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 37/2021-केन्द्रीय कर, तारीख 1 दिसंबर, 2021 द्वारा संख्या सा.का.नि. 683(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2021 द्वारा किया गया ।